न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22/2013	22/03/2013	07/11/2025

1. दुर्गा सिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह मृतक जर्ये कायम मुकाम जाति राजपूत
   1/1 प्रताप सिंह पुत्र दुर्गासिंह
   1/2 भगवती सिंह पुत्र दुर्गासिंह
   1/3 कमलेश कंवर पुत्री दुर्गासिंह
   1/4 राजदुलारी बेवा दुर्गासिंह जातियान राजपुत निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०
2. शिवराजसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०

वादीगण

बनाम

1. नारायणसिंह, पुत्र श्री नन्दसिंह
2. सायाकंवर पुत्री श्री नन्दसिंह
3. अजयसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह
4. कोमल कुमारी पुत्र श्री हुकमसिंह
5. दीपा कुमारी पुत्रिया श्री हुकमसिंह
6. पलक पुत्री श्री हुकमसिंह
7. श्रीमति उर्मिला कंवर बैवा श्री हुकमसिंह
8. रक्षा हाडा पुत्री श्री हिम्मतसिंह
9. प्रीति कंवर बैवा श्री हिम्मतसिंह जातियान राजपुत निवासीगण इन्द्र मौहल्ला वार्ड नं 9 राजपूत चौक तहसील इन्द्रगढ़ जिला हूँन्दी राज
10. शीलादेवी पत्नी श्री इन्दनसिंह जाति रायसिक्छ निवासी बावर न्याला तहसील मुण्ड विर जिला अलवर रजि०घाड
11. पहलवान पुत्र श्री गंगाधर जातियान मीणा निवासीगण ढोटी तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
12. महावीर पुत्र श्री गंगाधर जातियान मीणा निवासीगण ढोटी तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
13. राजस्थान सरकार जरी तहसीलदार साहब, पीपाच्या जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:— श्री गिरिराज कुशवाहा एड०।
प्रतिवादी कम 1 ता 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता:— श्री मनोज शर्मा एड०।

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर. टी. एक्ट

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चक्टोडी पटवार क्षेत्र ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा में खतौनी संख्या 11 नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 68 पर आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 3.01 हेक्टर, व खसरा नम्बर 150 रकबा 2.70 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम रकबा कुल 2 किता कुल रकबा 5. 71 हैक्टर भूमि दर्ज है। जिसके संयुक्त खातेदारान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 हैं। इसी प्रकार वाके ग्राम श्रीपुरा पटवार क्षेत्र ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा में खतौनी संख्या 24 नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 69 पर आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 7.03 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम दर्ज है, जिसके संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

खातेदारान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 है। इसी प्रकार खतौनी संख्या 23 वाले ग्राम श्रीपुरा पटवार क्षेत्र ढीपरी चम्बल नक्ल जमाबन्दी संवत् 2065 से 68 पर आराजी खसरा नम्बर 62 रकबा 0.27 हैक्टर, व किस्म गैर मुमकिन धोरा, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.11 हैक्टर, किस्म गैर मुमकिन कॉलोनी खसरा नम्बर 175 रकबा 0.22 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम कुल 4 किता कुल रकबा 1.61 हैक्टर भूमि दर्ज है। जिसके खातेदारान वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 है। इसी प्रकार वाके ग्राम बरनाहाली पटवार क्षेत्र ढीपरी चम्बल तहसील पीपल्दा खतौनी संख्या 16 नकल जमाबन्दी संवत् 2065 से 68 पर आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 2.18 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम राजस्व रेकॉर्ड में खाता सरकार जैली वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजियात संयुक्त खाते की है। वादी गण व प्रतिवादीगण को काश्त करने, ऋण लेने व भूमि सुधार करवाने में विभाजन न होने की स्थिति में काफी परेशानी हो रहीं हैं, वादीगण अपनी इच्छानुसार भूसुधार करवाना चाहते है। ताकि अधिक फसल उत्पन्न हो सके, किन्तु वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच उपरोक्त वर्णित संयुक्त खातेदार की आराजियात का भूमि सुधार नहीं होने से तथा काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है, इस कारण वादीगण अपने हिस्से का बंटवारा करवाना चाहते हैं, तथा राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे में पृथक खाता दर्ज करवाना चाहते हैं, तथा पृथक अंकन करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 से कई मर्तबा उपरोक्त वर्णित आराजियात का बंटवारा करवाने बाबत निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादी गण टालमटोल कर रहे हैं। दिनांक 17—3—2013 को भी वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 ता 12 से आपसी सहमति से बंटवारा करवाने बाबत निवेदन किया प्रतिवादी गण सहमत नहीं हुये, तथा वे बंटवारा करवाना नहीं चाहते हैं, इस कारण वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त खाते की आराजियात का बंटवारा करवाने बाबत वाद प्रस्तुत कर सके। वाद कारण दिनांक 17.3.2013 को प्रतिवादी गण द्वारा बंटवारा करवाने से इंकार करने पर उत्पन्न हुआ। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी गण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिकी पारित की जावे कि वाके ग्राम चक्टोडी में खातौनी संख्या 11 पर दर्ज आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 3.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 150 रकबा 2.70 हैक्टर, कुल 2 किता रकबा कुल 5.71 हैक्टर, खतौनी संख्या 24 आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 7.03 हैक्टर किस्म नहरी प्रथम, खतौनी संख्या 23 खसरा नम्बर 62 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 65 रकबा 1.11 हेक्टर व खसरा नम्बर 175 रकबा 0.22 हैक्टर कुल 4 किता रकबा कुल 1.61 हैक्टर वाके ग्राम श्रीपुरा एवं खतौनी संख्या 16 वाके ग्राम बरनाहली खसरा नम्बर 186 रकबा 2.18 हेक्टर भूमि में वादीगण व प्रतिवादी गण के मध्य अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि को समान रूप से विभाजित कर पृथक खाता व पृथक लगान वादीगण का राजस्व रेकॉर्ड में व नक्शे में दर्ज फरमाया जावे व वादीगण को विभाजित हिस्से का पृथक खातेदार घोषित किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री गिरिराज कुशवाहा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 9 की ओर से श्री मनोज शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 11, 12 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादीकम 10, 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क 11, 12 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 1 ता 9 ने जवाब दावा मय काउण्टर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

क्लेम पेश किया। जो अग्रलिखित है। वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम चकटोडी की खसरा नम्बर 146 रकबा 3.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 150 की 2.70 हैक्टर किता 2 रकबा 5.71 हैक्टर व ग्राम बरनाहाली की खसरा नम्बर 186 की 2.18 हैक्टर भूमि का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त आराजी कों प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज किया जावे और वादीगण का नाम उपरोक्त आराजी से हटाया जावे तथा ग्राम श्रीपुरा की आराजी जो वाद मे वर्णित है उसमें प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें तथा सम्पूर्ण आराजी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे निर्णय दिनांक परगना अधिकारी कोटा दिनांक 22.12.1972 की पालना सुनिशिचित की जावे और पूर्व बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया जावे वादीगण कों स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि पूर्व मे बंटवारे मे प्राप्त प्रतिवादीगण की आराजी ग्राम चकटोडी व ग्राम बरनाहाली की भूमि पर वादीगण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत नहीं करें। प्रतिवादीगण कों विवादग्रस्त आराजी ग्राम चकटोडी व ग्राम बरनाहाली का खातेदार घोषित किया जावें तथा बंटवारे में उपरोक्त आराजी कों प्रतिवादीगण कों दिया जावें क्योकि उपरोक्त आराजी पूर्व में न्यायालय श्रीमान द्वारा बंटवारे में दी गई थी। दिनांक 8.10.2013 को प्रतिवादीगण ने वादीगण सें पूर्व मे हुये बंटवारे की निर्णय की पालना राजस्व रिकार्ड मे करवाने बाबत कही तों वादीगण में उक्त निर्णय को स्वीकार करते हुयें उक्त निर्णय की पालना करवाने के लिए सहमति दी लेकिन दिनांक 5.11.017 कों वादीगण में पूर्व निर्णय पर सहमति जाहिर नहीं की और कहा कि वर्तमान रिकार्ड के मुताबिक ही बंटवारा करायेगे पूर्व निर्णय को नही मानते इस कारण यह काउण्टर क्लेम घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत है। विवादित आराजी का पूर्व मे निर्णय हो चुका है और पूर्व निर्णय से वादीगण व प्रतिवादीगण बाध्य है उक्त आराजी बाबत नया निर्णय नहीं करवा सकतें जों रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है पूर्व मे हुये बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा किया जावें। वादीगण का वाद काबिल खारिज किये जानें योग्य है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है। वादीगण का वाद किसी कारण से खारिज भी हो जाता है तों प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर वाद का निस्तारण किया जावें काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के पक्ष में वादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादर डिकी फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम चकटोडी की ख.न. 146 की 3.01 हैक्टर व ख.न. 150 रकबा 2.70 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 5.71 हैक्टर भूमि व ग्राम बरनाहाली की खसरा नम्बर 186 रकबा 2.18 हैक्टर बंटवारे में प्राप्त भूमि का प्रतिवादीगण कों खातेदार घोषित किया जावें तथा उपरोक्त आराजी पर वादीगण का नाम खाते से हटाया जावें और विवादग्रस्त आराजी ग्राम श्रीपुरा की ख.न. 62 रकबा 0.27 हैक्टर ख.न. 64 रकबा 0.01 हैक्टर ख. न. 65 रकबा 1.11 हैक्टर ख.न. 175 रकबा 0.22 हैक्टर ख. न. 66 रकबा 7.03 हैक्टर का वादीगण व प्रतिवादीगण 10 लगायत 12 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 का नाम उपरोक्त खाते से हटाया जावें प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पक्ष में व वादीगण व प्रतिवादीगण 10 ता 12 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि प्रतिवादीगण 1 ता 9 के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम चकटोडी व बरनाहाली के उपयोग एवं उपभोग में वादीगण व प्रतिवादीगण 10 ता 12 किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत न तो स्वयं करें, और न ही ऐसा कार्य अपने अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

दौराने वाद वादीगण विवादग्रस्त आराजी ग्राम चकटोडी व बरनाहाली कों विक्रय कर देते है तों प्रतिवादीगण 1 ता 9 के अधिकारो के समक्ष उक्त विक्रय को बेअसर घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण के कब्जे व स्वामित्व की आराजी चकटोडी व बरनाहाली को समय समय पर मुनाफा काश्त, पॉती काश्त पर भी अन्य किसानो को दिया जाता रहा है जिसकी तहरीर स्वयं वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के खेत की लिखी गई है। वादी की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम का जवाब पेश किया गया जो अग्रलिखित है। निर्णय परगना अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 22.12.1972 स्वीकार नहीं है और वैसे भी निर्णय दिनांक 22.12.1972 की पालना की मियाद खत्म हो चुकी है उक्त निर्णय अब कानूनन बेअसर है। इस कारण काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है। पूर्व में निर्णित वाद की मियाद खत्म हो चुकी हे। पक्षकार भी समान नहीं है इसलिए वादी रेसजूयडिकेटा की कोटी में नहीं आता है। वादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीगण वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी भूमि का समान विभाजन करवाकर पृथक खाता नक्शा व लगान दर्ज करवाने के अधिकारी है।

   जिम्मे वादीगण

2. आया प्रतिवादीगण परगना कोटा के निर्णय दिनांक 22.12.1972 के अनुसार ग्राम चकटोडी की ख0नं0 146 रकबा 3.01है0, ख0नं0 150 रकबा 2.70है0 तथा ग्राम बरनाहाली की ख0नं0 186 रकबा 2.8है0 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 स्वयं को बतोर खातेदार घोषित करवाकर पृथक से खाता व लगान दर्ज करवाने के अधिकारी है।

   जिम्मे प्रतिवादीगण

3. आया प्रतिवादीगण 1 ता 9 ग्राम चकटोडी व बरनाहाली की आराजी से वादीगण का नाम खाते से हटवाकर तथा ग्राम श्रीपुरा की आराजी सम्पूर्ण पर प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर वादीगण का नाम बतोर खातेदार दर्ज करवाकर विभाजन करवाने का अधिकारी है।

   जिम्मे प्रतिवादी

4. दादरसी

साक्ष्यवादी शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 दुर्गासिंह, पी0डब्ल्यू0 2 शिवराज पेश किए। दुर्गा सिंह पुत्र चन्दन सिंह पी0डब्ल्यू0 1 ने बयानों में स्वीकारा कि श्रीपुरा की भूमि प्रतिवादी द्वारा काश्त नहीं की गई। पिछले 50 वर्षो से चकटोडी व बरनाहली की भूमि पर नन्दसिंह व उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले काश्त कर रहे है। वादी ने वाद के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चकटोडी सम्वत 2065–68 प्रदर्श पी–1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–2, नकल जमाबन्दी ग्राम श्रीपुरा सम्वत 2066–69 प्रदर्श पी–3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–4, नकल जमाबन्दी ग्राम श्रीपुरा प्रदर्श पी–5, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–6, नकल जमाबन्दी ग्राम बरनाहाली सम्वत 2062–68 प्रदर्श पी–7, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–8 पेश किए। जिरह साक्ष्यवादी की गई। साक्ष्यप्रतिवादी शपथ पत्र डी0डब्ल्यू 1 नारायणसिंह, डी0डब्ल्यू0 2 सूरजमल, डी0डब्ल्यू0 3 मोहनलाल, डी0डब्ल्यू0 4 हरिशंकर, डी0डब्ल्यू0 5 जयशंकर पेश किए। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2066–69 ग्राम श्रीपुरा खाता सं0 24 प्रदर्श डी–1, जमाबन्दी सम्वत 2066–69 ग्राम श्रीपुरा प्रदर्श डी–2,जमाबन्दी सम्वत 2065–68 ग्राम चकटोडी खाता सं0 11 प्रदर्श डी–3, जमाबन्दी सं0 2065–68 ग्राम बरनाहाली खाता सं0 16 प्रदर्श डी–4, मिलान क्षेत्रफल ग्राम श्रीपुरा प्रदर्श डी–5, मिलान क्षेत्रफल ग्राम बरनाहाली प्रदर्श डी–6, जमाबन्दी सं0 2036–39 ग्राम बरनाहाली प्रदर्श डी–7, जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सं0 2033–36 ग्राम श्रीपुरा प्रदर्श डी–8, मिलान क्षेत्रफल ग्राम चकटोडी प्रदर्श डी–9, जमाबन्दी ग्राम चकटोडी प्रदर्श डी–10, प्रमाणित प्रति न्यायालय डिक्री दिनांक 22.12.1972 प्रदर्श डी–11, प्रमाणित प्रति न्यायालय निर्णय दिनांक 22.12.1972 प्रदर्श डी–12, वाद पत्र की प्रमाणित प्रति दिनांक 1.11.1966 प्रदर्श डी–13, बंटवारा राजीनामा की प्रमाणित प्रति दिनांक 28.12.1967 प्रदर्श डी–14, मुनाफा काश्त बाबत लिखावटी 1966 से कुल 13 दस्तावेज प्रदर्श डी–15 से 29 पेश किए। साक्ष्य प्रतिवादी जिरह की गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। जवाब प्रतिवादी मय काउंटर क्लेम का अध्ययन मनन करने एवं विद्वान अधिवक्तागणों की बहस पर गौर करने पर पाया कि हस्तगत वाद में दर्ज आराजीयात का सन् 1972 में ही राजीनामा के अनुसार विभाजन होकर डिक्री पारित की जा चुकी है। उक्त राजीनामा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त कर रहे है। अतः 53 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मध्य हो चुके राजीनामा के आधार पर विभाजन एवं उक्त विभाजन के अनुसार ही मौके पर भूमि काश्त करने से पृथक से नये सिरे से विभाजन करने का कोई औचित्य नहीं है।

तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. तनकी नं0 1 के अनुसार वादी ने वाद पत्र में वर्णित आराजी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का समान विभाजन करवाकर पृथक खाता नक्शा व लगान दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा 1972 के राजीनामे अनुसार विभाजन का निर्णय मय डिक्री होकर उसी राजीनामें के अनुसार मौके पर काबिज होने के पक्ष में संबंधित निर्णय की नकल प्रस्तुत की है। प्राप्त नकल निर्णय से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रश्नगत भूमि का विभाजन 1972 से ही हो रहा है। जिसके विरोध में वादी द्वारा कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। वादी अपना मत सिद्ध करने में असफल हुआ है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
2. तनकी नं0 2 के अनुसार प्रतिवादीगण परगना कोटा के निर्णय दिनांक 22.12.1972 के अनुसार ग्राम चकटोडी की ख0नं0 146 रकबा 3.01है0, ख0नं0 150 रकबा 2.70है0 तथा ग्राम बरनाहाली की ख0नं0 186 रकबा 2.8है0 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 स्वयं को बतोर खातेदार घोषित करवाकर पृथक से खाता व लगान दर्ज करवाने के अधिकारी है। जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है और प्रतिवादीगण ने अपनी तनकी के पक्ष में 22.12.1972 का निर्णय पेश कर अपनी तनकी को सिद्ध किया है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. तनकी नं0 3 के अनुसार प्रतिवादीगण 1 ता 9 ग्राम चकटोडी व बरनाहाली की आराजी से वादीगण का नाम खाते से हटवाकर तथा ग्राम श्रीपुरा की आराजी सम्पूर्ण पर प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर वादीगण का नाम बतोर खातेदार दर्ज करवाकर विभाजन करवाने का अधिकारी है। जिसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त तनकी भी श्रीमान परगना अधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 22.12.1972 से विभाजन पूर्व में ही हो जाने एवं वादीगण का नाम प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि में से हटाने एवं प्रतिवादीगण का नाम वादीगण के हिस्से की भूमि में से हटाने का आदेश हो जाने से सिर्फ प्रश्नगत आदेश की पालना ही शेष है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सभी तनकियों के बिन्दुवार विवेचन से हस्तगत वाद में वादीगण अपना पक्ष सिद्ध नहीं कर पाये है। अतः वाद वादी ग्रहणीय नहीं होने से खारिज किया

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

जाता है एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम चकटोडी के ख0नं0 146 रकबा 3.01है0, ख0नं0 150 रकबा 2.70है0, ग्राम बरनहाली के ख0नं0 186 रकबा 2.18है0, कुल किता 3 कुल रकबा 7.82है0, पर प्रतिवादी सं0 1 ता 9 को एवं ग्राम श्रीपुरा के ख0नं0 62 रकबा 0.27है0, ख0नं0 64 रकबा 0.01है0, ख0नं0 65 रकबा 1.11है0, ख0नं0 66 रकबा 7.03है0, ख0नं0 175 रकबा 0.22है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.64है0, पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 10 ता 12 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 का नाम उपरोक्त खाते से हटाया जावें प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पक्ष में व वादीगण व प्रतिवादीगण 10 ता 12 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण 1 ता 9 के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम चकटोडी व बरनाहाली के उपयोग एवं उपभोग में वादीगण व प्रतिवादीगण 10 ता 12 किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत न तो स्वयं करें, और न ही ऐसा कार्य अपने अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

डिकी मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22 / 2013	22 / 03 / 2013	07 / 11 / 2025

1. दुर्गा सिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह मृतक जर्ये कायम मुकाम जाति राजपूत
   1/1 प्रताप सिंह पुत्र दुर्गासिंह
   1/2 भगवती सिंह पुत्र दुर्गासिंह
   1/3 कमलेश कंवर पुत्री दुर्गासिंह
   1/4 राजदुलारी बेवा दुर्गासिंह जातियान राजपुत निवासीगण इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०
2. शिवराजसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज०

वादीगण

बनाम

1. नारायणसिंह, पुत्र श्री नन्दसिंह
2. सायाकंवर पुत्री श्री नन्दसिंह
3. अजयसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह
4. कोमल कुमारी पुत्र श्री हुकमसिंह
5. दीपा कुमारी पुत्रिया श्री हुकमसिंह
6. पलक पुत्री श्री हुकमसिंह
7. श्रीमति उर्मिला कंवर बैवा श्री हुकमसिंह
8. रक्षा हाडा पुत्री श्री हिम्मतसिंह
9. प्रीति कंवर बैवा श्री हिम्मतसिंह जातियान राजपुत निवासीगण इन्द्र मौहल्ला वार्ड नं 9 राजपूत चौक तहसील इन्द्रगढ़ जिला हूँन्दी राज
10. शीलादेवी पत्नी श्री इन्दनसिंह जाति रायसिक्छ निवासी बावर न्याला तहसील मुण्ड विर जिला अलवर रजि०घाड
11. पहलवान पुत्र श्री गंगाधर जातियान मीणा निवासीगण ढोटी तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
12. महावीर पुत्र श्री गंगाधर जातियान मीणा निवासीगण ढोटी तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्य प्रदेश
13. राजस्थान सरकार जरी तहसीलदार साहब, पीपाच्या जिला कोटा राज०

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री गिरिराज कुशवाहा एड0।
प्रतिवादी कम 1 ता 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर. टी. एक्ट

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री गिरिराज कुशवाहा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी ग्रहणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 ता 9 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम चकटोडी के ख0नं0 146 रकबा 3.01है0, ख0नं0 150 रकबा 2.70है0, ग्राम बरनहाली के ख0नं0 186 रकबा 2.18है0, कुल किता 3 कुल रकबा 7.82है0, पर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रतिवादी सं0 1 ता 9 को एवं ग्राम श्रीपुरा के ख0नं0 62 रकबा 0.27है0, ख0नं0 64 रकबा 0.01है0, ख0नं0 65 रकबा 1.11है0, ख0नं0 66 रकबा 7.03है0, ख0नं0 175 रकबा 0.22है0 कुल किता 5 कुल रकबा 8.64है0, पर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 10 ता 12 को खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 9 का नाम उपरोक्त खाते से हटाया जावें प्रतिवादीगण 1 ता 9 के पक्ष में व वादीगण व प्रतिवादीगण 10 ता 12 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण 1 ता 9 के कब्जे काश्त की आराजी ग्राम चकटोडी व बरनाहाली के उपयोग एवं उपभोग में वादीगण व प्रतिवादीगण 10 ता 12 किसी प्रकार की मदाखलत व मजहामत न तो स्वयं करें, और न ही ऐसा कार्य अपने अन्य किसी प्रतिनिधि से करावे। तहसीलदार पीपल्दा को आदेशित जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 07.11.2025 को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा